न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : आर. के. मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 21/2021 राजस्व अपील

1. रामेश्वर पुत्र श्रीचन्द
2. मोहन पुत्र श्रीचन्द
3. कैलाश पुत्र श्रीचन्द
4. रामस्वरूप पुत्र श्रीचन्द

समस्त जाति मीना निवासी गुमानपुरा तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार बहरावण्डा जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय उप तहसीलदार बहरावण्डा दिनांक 14.08.2018 मुकदमा उनवानी सरकार बनाम रामेश्वर वगैरा मु. नं. 19/2018 अन्तर्गत धारा 91 एल. आर. एक्ट

उपस्थिति : श्री राजकुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
: पैरोकार सरकार उपस्थित।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

:— निर्णय :— दिनांक: 03.01.2022

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का ने अपीलान्ट्स के खिलाफ एक रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा के समक्ष इस आशय की पेश की कि अपीलान्ट्स ने सम्वत 2075 में ग्राम गुमानपुरा में स्थित खसरा नम्बर 827 रकबा 0.25 है. चरागाह भूमि पर काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स की तामील हुए बिना एवं अपीलान्ट्स को सुनवाई व सबूत का मौका दिये बिना दिनांक 14.08.2018 को निर्णय पारित करते हुए अपीलान्ट को 90 दिवस के कारावास व पेनल्टी की सजा से दण्डित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा के उक्त निर्णय दिनांक 14.08.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानूनी नियम उपनियम व पत्रावली के तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्ट ने किसी भी सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है और ना ही काश्त की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को कोई सुनवाई व सबूत का मौका ही नहीं दिया जबकि कानूनन पीडित पक्ष को पूर्ण सुनवाई का मौका देकर ही निर्णय पारित करना चाहिए। पत्रावली पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का कोई सबूत नहीं है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट भी प्रदर्शित नहीं हुई है। अपीलान्ट को पटवारी हल्का से जिरह तक का भी मौका नहीं मिला।

अति. जिला कलक्टर
दौसा

अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने ग्राम गुमानपुरा में स्थित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 827 रकबा 0.25 है. भूमि पर से अपना कब्जा हटा लिये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत कर अतिक्रमण हटा लिया जाना व्यक्त करते हुए अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाये जाने का निवेदन करते हुए निर्णय दिनांक 14.08.2018 में से सिविल कारावास की सजा को निरस्त करने के आदेश फरमाने का निवेदन किया गया।

जवाब बहस के दौरान पैरोकार सरकार ने निवेदन किया कि अपीलान्ट्स ने ग्राम गुमानपुरा में स्थित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 827 रकबा 0.25 है. भूमि में से 0.20 है. भूमि पर बाजरा एवं 0.05 है. भूमि पर पडत व कब्जा कर अतिक्रमण कर लिया है। अपीलान्ट्स अतिक्रमियों के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर शास्ति आरोपित कर अपीलान्ट्स अतिकमियों को अतिकमित आराजी से दिनांक 14.08.2018 को बेदखल कर शास्ति आरोपित करने के साथ ही 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट्स पश्चातवर्ती अतिचारी है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा मौके पर से अतिक्रमण हटा लिये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत कर मौके पर से अपीलान्ट्स का अतिक्रमण हटा लिया जाना एवं भविष्य में उक्त भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया जाना अंकित किया गया है। ऐसी स्थिति में हम अपील अपीलान्ट्स आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट्स इस शर्त पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है कि अपीलान्ट्स का ग्राम गुमानपुरा में स्थित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 827 रकबा 0.25 है. भूमि पर अतिक्रमण नहीं होने बाबत् अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा सत्यापित किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 14.08.2018 में से सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अन्यथा सिविल कारावास सहित अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश यथावत प्रभावी रहेगा। निर्णय की प्रति एवं अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(आर. के. मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 03.01.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आर. के. मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official